ग्रामीण महिला विकास संस्थान

वार्षिक प्रतिवेदन
2008–09

हमारे प्रयास

आयोडीन नमक की उपयोगिता पर सघन प्रचार अभियान के तहत
पुष्कर विधायिक श्रीमती नसीम अख्तर द्वारा पारितोषिक वितरण

बाल श्रमिक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा
बाल श्रम उन्मूलन रैली निकालते हुए

पुस्तकालय कार्यक्रम के अन्तर्गत
विद्यार्थी चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हुए

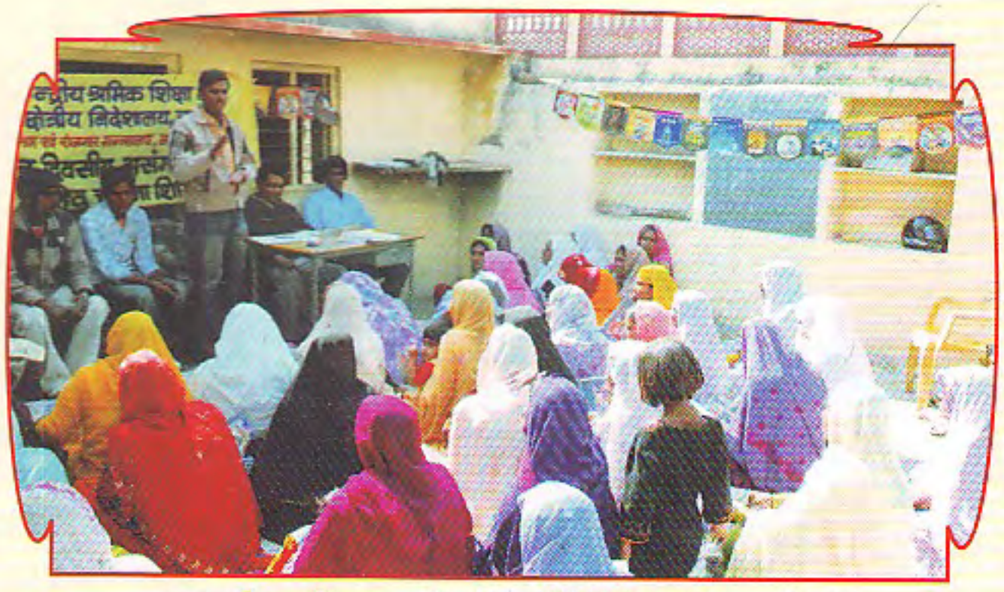

बाल श्रमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिभावकों को
बाल श्रमिक कानून की जानकारी देते हुए।

महिला मेला पर आयोजित कार्यक्रम में
महिला सशक्तिकरण की जानकारी देते हुए।

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपना लेने–देन करते हुए।

किसान खेत पाठशाला के तहत महिलाएं
तिल की खेती का प्रदर्शन करते हुए।

समूहों का आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हुए।

अध्यक्ष की ओर से

हम सभी इस समाज के सदस्य हैं और इस समाज में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी आपस में भाईचारे एवं शान्तिपूर्ण जीवन यापन करते हुए अपना विकास करें व दूसरे के विकास में सहायक बनें। हमारा कर्तव्य न कि सिर्फ़ अपने लिए बल्कि समाज के समस्त प्राणियों के सर्वांगीण विकास से ओतप्रोत हो। समाज के एकीकरण एवं विकास के लिए बहुत सारे स्वैच्छिक संस्थान बहुत अच्छे गुणवत्तापूर्ण कार्य कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए शुभ संकेत है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जिस समाज का हम हिस्सा हैं, उसमें साक्षरता, ग़रीबी में कमी, बेरोज़गारी का निवारण हो। इसमें हम स्वैच्छिक संस्थानों में भागीदारी बढ़ायें व समाज को आगे ले जायें।

(अनिल कुमार माथुर)

अध्यक्ष

सचिव की ओर से

इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में उन्नति करना चाहता है। आज चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। फलस्वरूप भ्रष्टाचार, अराजकता जैसी घटनायें समाज में बाधक साबित हो रहीं हैं। हमारा लक्ष्य समाज को उच्च तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रसार के द्वारा उन्नति की ओर ले जाना है। ऐसे में स्वैच्छिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली बहुत महत्त्वपूर्ण साबित हो रही है। जो निरन्तर समाज को विकास की गति दे रही है। संस्था को सरकारी एवं ग़ैर सरकारी संस्थाओं का आर्थिक, व्यैक्तिक सहयोग एवं मार्ग-दर्शन मिला उसके लिए संस्था उनकी हमेशा आभारी रहेगी।

(शंकर सिंह रावत)

सचिव

ग्रामीण महिला विकास संस्थान - बूबानी, अजमेर (राज.)

प्रगति रिपोर्ट : वर्ष 2008-2009

पृष्ठभूमि

ग्रामीण महिला विकास संस्थान मानव समाज विषयक उद्देश्य विशेष के लिए गठित स्वैच्छिक संगठन है, जो वृहद् स्तर पर ग्रामीण समुदाय के साथ उनके सामाजिक सशक्तिकरण एवं आजीविका संवर्द्धन के लिए कार्य कर रही है। संस्था विविध और व्यापक स्तर पर जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दे आदि पर 1997 से कार्यक्रम संचालित कर रहा है। वर्तमान में संस्था अजमेर ज़िले की श्रीनगर, सिलोरा और भिनाय पंचायत समिति के 81 गांवों में कार्यरत है।

ग्रामीण महिला विकास संस्थान, राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 की धारा 28 के तहत एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-ए व 80-जी के तहत तथा एफ.सी.आर.ए. एक्ट 1976 के अधीन पंजीकृत है।

विज़न

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पेयजल, रोज़गार के विकल्प उपलबध करना।

मिशन

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, शिक्षा हेतु विद्यालयों का निर्माण, टीकाकरण व स्वास्थ्य जानकारी द्वारा बेहतर स्वास्थ्य, पौधारोपण के प्रति जागरुकता व देखभाव व पर्यावरण संरक्षण करना।

संस्था के उद्देश्य

- समस्याग्रस्त गाँवों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करने में ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करते हुए अच्छा स्वास्थ्य बनाये रखने में मदद करना।
- महिला विकास व सशक्तिकरण में ग्रामीण महिलाओं की रुचि पैदा करना तथा महिला उत्थान कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं स्वास्थ्य निराकरण के लिए महिला गोष्ठियों का आयोजन करना।
- कृषि एवं पशुपालन के लिए ग्रामीणों को आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें अधिक पैदावार एवं बेहतर पशुपालन में उनकी समस्याओं को कम करने में मदद करना।
- पर्यावरण संरक्षण करने के लिए पेड़ पौधों के महत्त्व पर जागरुकता प्रदान करना।।

- मृदा संरक्षण के उपायों की ग्रामीणों को जानकारी देना व नई-नई तकनीकों का प्रयोग करना
- महिला व बाल विकास कार्यक्रम का संचालन व लोगों की जागरुकता हेतु बैठकों का आयोजना करना।
- बेहतर शिक्षा हेतु विद्यालयों एवं पुस्तकालयों की स्थापना करना।
- ग्रामीण दस्तकारी को बढ़ावा देने में सहयोग करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार अवसर पैदा करने हेतु खादी ग्रामोद्योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नियमानुसार ऋण प्राप्त करवाना।
- संस्था के उद्देश्य एवं कार्यकलापों को प्रचारित करना, किताबों का मुद्रण एवं प्रकाशन तथा पुस्तकालयों की स्थापना करना।

स्वास्थ्य कार्यक्रम

सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीवितता कार्यक्रम (SMCS)

सी. आर. एस. व आर. सी. डी. समाज सेवी संस्थान, मदार, अजमेर के सहयोग से संस्था द्वारा सितम्बर, 2004 से 4 वर्षों से भिनाय पंचायत समिति के धातोल एवं बूबकिया ग्राम पंचायत के ग्रामों में सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीविताता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

वर्तमान में 900 परिवार इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

उद्देश्य

स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार व सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वय कर क्षेत्र की मातृ व शिशु मृत्यु दर न्यून करना।

विभिन्न गतिविधियां एवं आयोजन

स्वास्थ्य शिक्षा

वर्ष के प्रत्येक माह में 3 बार बैठकों एवं गृह भ्रमणों के दौरान गर्भवती महिलाओं को जल्दी से जल्दी एएनएम के पास पंजीकरण कराने की सलाह दी जाती है। प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् खतरे एवं उनसे बचने के उपायों की जानकारी महलाओं को दी जाती है। विभिन्न मौसमी और संक्रामक बीमारियों के बारे में ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी दी जाती है।

ग्राम स्वास्थ्य कमेटी

परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजित ग्रामों में एक स्वास्थ्य कमेटी बनाई गई है, जो SMCS परियोजनाओं में

संचालित सभी गतिविधियों एवं ग्राम स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों पर आवश्यक प्रक्रिया अपनाती है। पोषाहार वितरण व टीकाकरण में सहयोग करती है।

टीकाकरण

गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को लगने वाले विभिन्न प्रकार के टीके, बीसीजी डोज़, पोलियो की खुराक, डीपीटी प्रथम, डीपीटी द्वितीय, डीपीटी तृतीय, टीका व पोलियो प्रथम, द्वितीय व तृतीय की खुराक, खसरा विटामिन-ए की नियमित 6 खुराक एवं महिला गर्भवती को टीटी के टीके, आयरन की 100 गोली, 3 जाँच आदि के बारे में जानकारी देकर एएनएम द्वारा टीकाकरण करवाया जाता है। उपरोक्त टीकाकरण के फायदे लोगों को बताकर जानकारी दी जाती है। इसमें पोलिया, डिप्थीरिया (गलघोंटू), काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक (टी. बी.) व खसरा जैसी भयंकर बीमारियों की रोकथाम का प्रयास करना आदि।

दाई प्रशिक्षण व किट वितरण

परियोजना अन्तर्गत दाइयों को प्रशिक्षण देकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल व जच्चा बच्चा को प्रसव पूर्व व प्रसव के समय, प्रसव बाद सुरक्षित कैसे रखा जाये की जानकारी दी गई। परिणामस्वरूप आज दाइयों ने इसमें दक्षता प्राप्त कर प्रसव की बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

पोषाहार वितरण

SMCS कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं व 0-3 वर्ष के नवजात शिशुओं को पोषाहार के रूप में सी.आर.एस. अमेरिका के सहयोग से 1.5 किलोग्राम दलिया व 1 लीटर तेल प्रति सहभागी (लाभार्थी) को प्रतिमाह दिया जाता है ताकि गर्भवती महिलाओं को आवश्यक पौष्टिक आहार की पूर्ति हो सके और उसके पेट में पलने वाला शिशु स्वस्थ पैदा हो। साथ ही बच्चों में उनकी उम्र के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। पोषाहार वितरण सभी गाँवों में प्रतिमाह एक निश्चित तिथि को समय पर किया जाता है।

स्तनपान सप्ताह

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अगस्त माह में स्तनपान सप्ताह सभी गाँवों में मनाया गया। इसमें विभिन्न रैलियों एवं बैठकों के माध्यम से महिलाओं को जानकारी दी कि शिशु को माँ का अपना पहला दूध (कोलस्ट्रम) पिलाना चाहिए। माँ का प्रथम दूध 1 टीके के बराबर होता है। उसे प्रथम 6 माह तक शिशु को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए।

पोषाहार सप्ताह

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सितम्बर माह में पोषाहार सप्ताह सभी गाँवो में मनाया गया। इसमें महिलाओं को पोषाहार सम्बन्धी जानकारी दी गई। महिलाओं को पौष्टिक आहार के नमूने बनाकर खिलाए गए। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के अन्तर्गत महिलाओं को व्यवहारिक जानकारी दी जाती है, जिससे वे अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें तथा स्वास्थ्य में सुधार ला सकें।

एड्स सप्ताह का आयोजन

यह दिसम्बर माह में सभी गाँवों में एचआईवी/एड्स सप्ताह का आयोजन किया गया। जिसमें गाँव की महिलाओं व पुरुषों को सर्वप्रथम रैली व बैठक कर एड्स के बारे में जानकारी दी गई।

- सुरक्षित यौन सम्बन्ध ही करना चाहिए।
- ख़ून की जाँच करने के बाद ही ख़ून चढ़ाना चाहिए।
- काम में लिया इन्जेक्शन दोबारा प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। ए.एन.एम. बहिनजी को इन्जेक्शन लगाते समय नई सूई का प्रयोग करने को कहना आदि।
- एच.आई.वी. से ग्रसित महिला को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। वह डॉक्टर की सलाह द्वारा ही गर्भवती बनना चाहिए।
- पलायन के समय अनैतिक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।

सामुदायिक स्वास्थ्य बैठकों का आयोजन

सामुदायिक स्वास्थ्य बैठकों का आयोजन प्रतिमाह किया जाता है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियों से अवगत कराया जाता है।

- मौसमी बीमारियों की जानकारी व बचाव के तरीक़े।
- ए.एन.एम. को स्वास्थ्य कार्यकर्ता बैठकों में बुलाकर नवीन जानकारियों से ग्रामीणों को अवगत कराना।
- ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा गाँव में होने वाली बीमारियों का पता लगाकर उसकी रोकथाम पर चर्चा करना।
- स्वास्थ्य समन्वयक सुपरवाइज़र द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारियों को उदाहरणों द्वारा समझाना आदि।

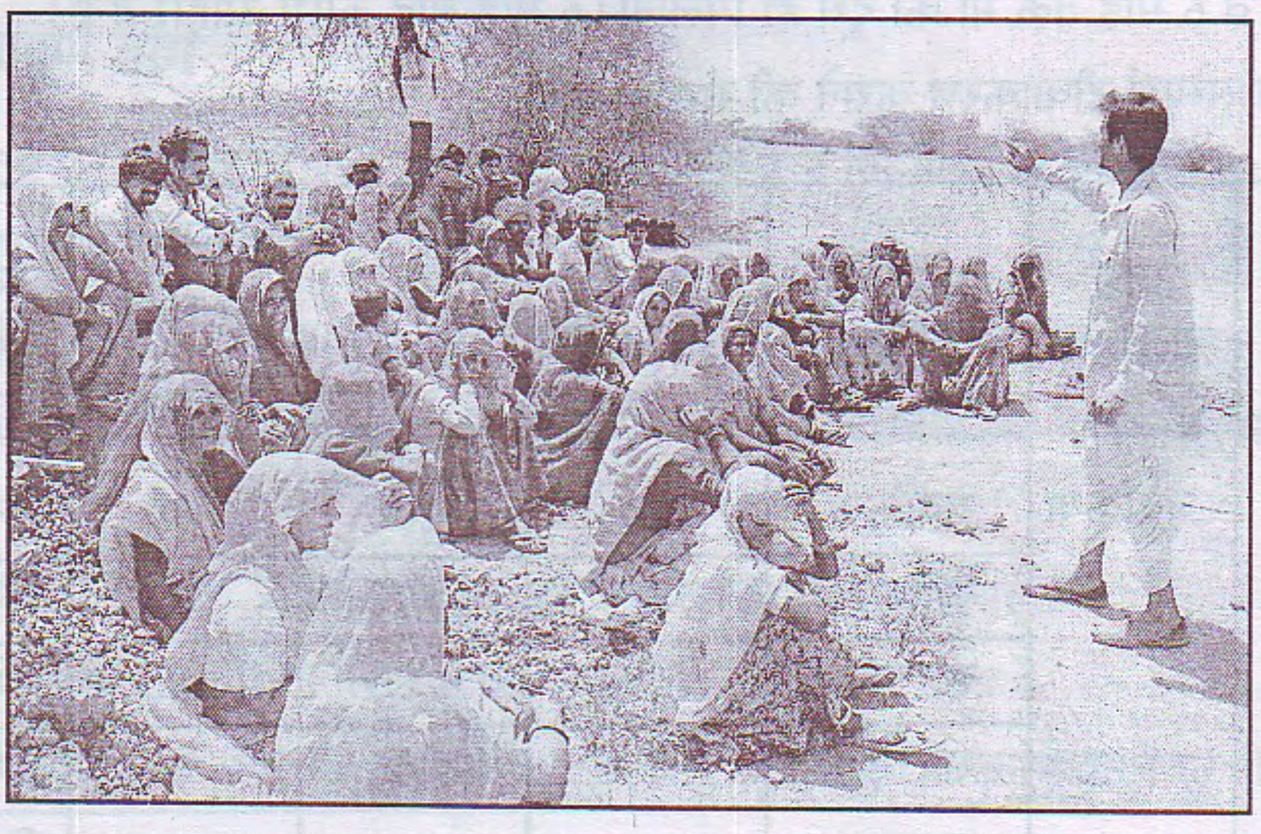

पल्स पोलियो अभियान

परियोजना के अन्तर्गत सभी गाँवों में जब-जब भी सरकार द्वारा पल्स पालियो अभियान चलाया जाता है, उसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुपरवाइज़र द्वारा गाँव के 0-5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने में सहयोग किया जाता है। उसके लिए घर-घर जाकर महिलाओं व पुरुषों को समझाया जाता है।

ग्रोथ मोनिटरिंग

वृद्धि अनुश्रवण से आशय जन्म से लेकर दो या तीन वर्ष की आयु के बच्चों का वज़न लेना तथा वृद्धि ग्राफ पर उसे अंकित करना व बच्चों को पोषण स्तर को सुधारने के लिए माता को परामर्श दिया जाता है। यदि किसी बच्चे में वज़न कम पाया जाता है तो उसे आवश्यक पोषण एवं स्वास्थ्य वर्द्धक गोलियां दी जाती हैं। गृह भ्रमण कर उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने हेतु प्रेरित किया जाता है।

प्रसव पूर्व, प्रसव के समय व प्रसव पश्चात सेवाएं

प्रसव पूर्व देखभाल का प्रारम्भिक उद्देश्य है प्रसव के बाद स्वस्थ माता तथा स्वस्थ शिशु। यह देखभाल गर्भधारण के साथ ही शुरू की जाती है।

- गर्भावस्था के दौरान कम-से-कम 3 जांच प्रसव पूर्व कराना।
- टिटनेस टॉक्साइड के दो टीके, तीसरे व पाँचवे माह में लगाना।
- ख़ून की कमी (एनीमिया) से बचाव के लिए आयरन फोलिक एसिड की 100 गोली खाना।
- प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही सुरक्षित प्रसव कराना।
- प्रसव होने पर शिशु व माँ की सिर से पाँव तक की जाँच करना। पहला दूध पिलाना, जन्म पर वज़न लेना आदि की जानकारी।
- 0-3 साल तक वज़न करना (हर माह)
- माँ का प्रथम दूध व 6 माह तक माँ का दूध ही पिलाना। 6 माह बाद ऊपरी आहार देना।
- 0-1 वर्ष के बीच सम्पूर्ण टीकाकरण कराने की सलाह आदि।

परियोजना का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कुल जनसंख्या	कुल परिवार	परियोजना में कुल सहभागी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	दाई
सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीवितता कार्यक्रम	भिनाय	बूबकिया	बूबकिया	1246	203	80	मैना देवी	लाली देवी
			रेण	635	90	60	मैना देवी	थेली देवी
			सोलकलां	576	86	60	उमी देवी	उमी देवी
			सोलखुर्द	465	65	40	उमी देवी	मुन्नी देवी
			खायड़ा	1059	184	75	निर्मला	नन्दू देवी
			पीपलिया	817	153	60	गीता देवी	गीता देवी
		धातौल	उदयगढ़	1408	205	100	सीमा	पारसी देवी
			हीरापुरा	1295	185	100	पारसी	ऐजी देवी

शिक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से गठित बाल श्रमिक परियोजना संस्था, अजमेर के मार्ग दर्शन में संचालित बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिला विकास संस्थान 4 विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन कर रहा है।

अजमेर ज़िले के श्रीनगर, सिलोरा पंचायत समिति के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। अत: अभिभावक बच्चों को विद्यालय न भेजकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित होटल, रेस्टोरेन्ट एवं ढाबे के अलावा किशनगढ़ एवं आस-पास क्षेत्र में संचालित पावरलूम, ईंट भट्टा और खानों में पत्थर तुड़ाई व मार्बल उद्योग में काम करने भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें इन उद्योगों से हटाकर शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना आवश्यक हो जाता है।

अत: संस्था ऐसे बच्चों को वहां से हटाकर इन विशिष्ट बाल श्रम विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उनकी उम्र एवं स्तर के अनुसार आगामी 3 वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराते हुए आगामी कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ रही है।

शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे अपने हुनर का विकास कर सकें।

बाल श्रम कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

1. बच्चे राष्ट्र की मूल्यवान धरोहर, उनका अधिकार शिक्षा प्राप्ति है न कि आजीविका कमाना।
2. बाल श्रम समस्या, देश के समक्ष कठिन चुनौती।
3. देश में वयस्क बेरोज़गारों की संख्या एवं कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या लगभग समान।
4. बाल श्रम के परिणाम स्वरूप वयस्क बेरोज़गारी, अशिक्षा और निर्धनता का घातक दुश्चक्र, राष्ट्र की प्रगति पर विपरीत प्रभाव।
5. अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की प्रतिष्ठा दांव पर, उत्पादों के निर्यात में कठिनाई।
6. बाल श्रम के बुरे नतीजों के प्रति माता-पिता की अज्ञानता।
7. संविधान एवं श्रम कानूनों के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कार्य करने पर रोक।

शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ाव

संस्थान द्वारा इन बच्चों को विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय में 3 वर्षों तक अध्ययन करवाकर आगामी वर्ष में इन बच्चों के साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा पूरा ध्यान देकर इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता है। साथ ही इन बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित सरकारी विद्यालयों, प्रशासन एवं परियोजना स्टाफ द्वारा निरन्तर फॉलो-अप

किया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक माह में कम-से-कम एक बार प्रत्येक बच्चे के माता-पिता से सम्पर्क कर उसकी प्रगति को अवगत कराना एवं छात्र-छात्रा की नियमित उपस्थिति हेतु चर्चा की जाती है। साथ ही सरकारी विद्यालय में जाकर बच्चों की गतिविधियों पर अध्यापकों की सलाह ली जाती है एवं उपस्थिति व प्रगति का अवलोकन भी किया व कराया जाता है।

संस्थान द्वारा 12 जून, 2006 से संचालित 4 विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों का सफल संचालन कर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है।

वर्तमान में शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े गये बच्चों का विवरण

क्र. सं.	संचालित विद्यालय	बालक	बालिका	योग	SC			ST			OBC			General		
					B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	मुहामी	23	27	50	2	2	4	–	–	–	21	25	46	–	–	–
2.	नौलखा	35	15	50	1	2	3	2	1	3	32	12	44	–	–	–
3.	गेगल	14	36	50	–	1	1	–	–	–	3	8	11	11	27	38
4.	किशनगढ़	24	26	50	4	4	8	–	–	–	5	10	15	15	12	27
	योग	96	104	200	7	9	16	2	1	3	61	55	116	26	39	65

संस्थान द्वारा शिक्षा के साथ-साथ निम्न गतिविधियाँ भी सम्पादित कराई जाती हैं-

1. व्यावसायिक शिक्षा
2. स्वास्थ्य परीक्षण
3. मासिक अभिभावक बैठकें
4. नियमित निरीक्षण
5. मासिक मूल्यांकन
6. प्रतिदिन पोषाहार
7. जनश्री बीमा योजना से जुड़ाव
8. स्टाइफण्ड
9. राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियों का आयोजन
10. खेलकूद
11. बाल श्रम विरोधी रैलियां

1. व्यावसायिक शिक्षा

बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष ज़ोर दिया जाता है, जिसमें बच्चों को स्वरोज़गार के प्रति जागरुक कर प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से मुख्यतः सिलाई, कढ़ाई, कुर्सी बुनाई, चारपाई, मिट्टी एवं लकड़ी के खिलौने, चाबी के छल्ले, बांस की टोकरियां, पंक्चर बनाना, ऊनी धागों से

बारन माल, स्वेटर, टोपी आदि का रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे बच्चे बड़े होने पर अपनी आजीविका अपनाते हुए अपने जीवन में सक्षम बन सकें।

2. स्वास्थ्य परीक्षण

बाल श्रमिक विद्यालयों अध्ययनरत बच्चों का प्रतिमाह नियमित रूप से नज़दीकी उप स्वास्थ्य केन्द्र ANM या सरकारी डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। इसके तहत बच्चों का वज़न, ऊँचाई, ख़ून की जाँच, आँखों की जाँच, विटामिन ए का घोल तथा दवाइयाँ देकर उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं।

3. मासिक अभिभावक बैठकें

विद्यालय प्रांगण में प्रतिमाह अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक में शिक्षा के साथ-साथ गाँव की अन्य समस्याओं पर भी बातचीत करना व सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं में लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना तथा बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों से रोकने का प्रयास कर उन्हें सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से अवगत भी कराया जाता है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों से पृथक कर शिक्षा की ओर ज़ोर देना तथा यह जानकारी देना कि जोखिमपूर्ण कार्य करवाने से मालिक को 20 हज़ार रुपये जुर्माना या 5 वर्ष का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं।

4. नियमित निरीक्षण

विद्यालयों का समय-समय पर परियोजना निदेशक, परियोजना फील्ड ऑफ़िसर, संस्थान प्रमुख गठित शिक्षा समिति, सरपंच एवं ग्रामीणों के साथ-साथ अन्य पंचायत समिति स्तर एवं ज़िला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पोषाहार, अनुशासन एवं अध्यापकों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

5. मासिक मूल्यांकन

बाल श्रमिक विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर बच्चों का हर माह मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के प्रति कमज़ोरी पकड़ कर उन्हें उच्च शिक्षा के स्तर में बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही TLM सामग्री का उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चों को 3 वर्ष में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करवाकर छठी कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता है।

6. प्रतिदिन पोषाहार

बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को प्रतिदिन राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पोषाहार में दूध बिस्किट दिया जाता है। यह क्रम साप्ताहिक चलता है। विद्यालयों को मिड-डे मील योजना से भी जोड़कर बच्चों को साप्ताहिक मैन्यू के आधार पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार दिया जाता है।

7. जनश्री बीमा योजना से जुड़ाव

संस्थान द्वारा जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों का बीमा करवाया गया। इसमें 100 रुपये प्रतिवर्ष प्रति

बालक प्रीमियम देय है, जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही इन बच्चों के माता-पिता का भारतीय जीवन बीमा अन्तर्गत समूह बीमा करवाया गया, जिसमें बच्चों के साथ अभिभावक भी सुरक्षित हैं।

8. स्टाइफण्ड

अध्ययनरत बाल श्रमिक विद्यालय के बच्चों के लिए परियोजना द्वारा प्रतिमाह प्रति बच्चा 100 रुपये वज़ीफ़ा (स्टाइफण्ड) के रूप में बैंक या पोस्ट ऑफ़िस में उन बच्चों के नाम खाता खुलवाकर राशि उनके खाते में जमा कराई जाती है। इस प्रकार परियोजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उनकी आर्थिक मदद भी कर रही है, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता मिलेगी।

9. राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियाँ

बाल श्रमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्वों के साथ-साथ महापुरुषों की जयन्तियाँ, बाल सप्ताह आदि मनाया जाता है। इनके माध्यम से महापुरुषों के जीवन में आई कठिनाइयों के बावजूद उनकी सफलताओं से बच्चों को अवगत कराते हुए उनसे प्रेरणा लेकर उन्हें आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया जाता है।

10. खेलकूद

विद्यालयों में समय-समय पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चों को चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, बोरी दौड़, रुमाल झपट्टा, ऊँची कूद, लम्बी कूद, दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि प्रतियोगिताएं होती हैं। इनके साथ-साथ प्रतिवर्ष बाल सप्ताह कार्यक्रम विद्यालय में मनाया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को संस्थान द्वारा उचित इनाम दिया जाता है।

11. रैलियाँ

बाल श्रमिक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों द्वारा ग्राम में समय-समय पर बाल श्रम विरोधी रैलियाँ, पल्स पोलियो रैली निकाली जाती हैं, जिसमें संस्थान व विद्यालय स्टाफ तथा ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग रहता है।

12. बाल श्रम के प्रति संस्थान की भूमिका

संस्थान का मुख्य उद्देश्य बालकों के हक़ के लिए संघर्ष करना है। अब लगभग सभी संस्थाएं बालकों के काम करने को शोषण के रूप में समझने लगी हैं तथा बाल मज़दूरी के प्रति संवेदनशील हैं। संस्थान कई प्रकार की भूमिका निभा रही है। अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाल श्रम प्रथा तथा बाल श्रमिकों के कार्य करने के ख़िलाफ़ समाज में चेतना पैदा करने की प्रेरणा देते हुए बच्चों के लिए मुफ़्त व अनिवार्य शिक्षा के लिए संघर्ष करते हैं व बाल श्रमिक बच्चों के माता-पिता से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें सामूहिक रूप से इस समस्या की गम्भीरता के प्रति जागरुक कर बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित करना।

13. अन्य गतिविधियाँ

संचालित बाल श्रमिक विद्यालयों में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (श्रम एवं रोज़गार मन्त्रालय, भारत सरकार) जयपुर के माध्यम से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करवाकर जिसमें मुख्यत: बालश्रम पर रोक लगाने व बाल श्रम करवाने पर कानूनी रूप से बच्चों के माता-पिता को 20 हज़ार रुपये जुर्माना या 5 वर्ष का कारावास अथवा दोनों आदि जानकारियां देते हुए उन्हें इस कार्यशाला के माध्यम से समझाया गया।

14. पुस्तकालय कार्यक्रम

रूम टू रीड इण्डिया, जयपुर द्वारा पोषित रीडिंग रूम (पुतकालय) कार्यक्रम के अन्तर्गत केकड़ी ब्लॉक के कादेड़ा, मेहरूकलां, गुलगांव संकुल के कुल 28 विद्यालयों में पुस्तकालय चलाये जा रहे हैं।

कार्यक्रम के संचालन के लिए सर्वप्रथम स्कूलों का चयन, कार्यकर्ताओं का चयन, क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना, अध्यापकों के साथ बैठक, पुस्तकें उपलब्ध करवाना आदि प्रमुख था।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. बच्चों में पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न मनोरंजनात्मक गतिविधियों से जोड़कर शैक्षिक स्तर में अपेक्षित सुधार लाना।
2. बच्चों में छुपी हुई रचनात्मक प्रवृत्तियों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उजागर करना व पुस्तकों के प्रति रूचि विकसित करना।
3. पढ़ाने के लिए सीखने की प्रक्रिया के स्तर में सुधार लाना।

कार्यक्रम के संचालन हेतु की जाने वाली गतिविधियाँ

1. वातावरण निर्माण / नुक्कड़ नाटक

कार्यक्रम के प्रति समुदाय की समझ विकसित करने हेतु चयनित ग्रामों में रात्रि में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। जिसमें पपेट शो के माध्यम से पुस्तकालय की जानकारी दी गई।

2. आधार रेखा अध्ययन

विद्यालयों की भौतिक सत्यापन के लिए विद्यालयों में आधार रेखा अध्ययन करना, जिसमें विद्यालय की भवन, सुविधायें, कक्षा की स्थिति, बच्चों का पढ़ाई का स्तर, अभिभावकों का स्तर आदि प्रमुख अध्ययन प्रपत्र लिये गये।

3. फर्नीचर प्रबन्ध

पुस्तकालयों के लिए प्रबन्धक व सहजता के लिए पुस्तकों के साथ-साथ फर्नीचर में डेस्क, दरियां, डिस्प्ले स्टेण्ड, अलमारी आदि का प्रबन्ध किया गया।

4. मासिक बैठकें

कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने व विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण व सुझावों हेतु स्टाफ की मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है।

5. बाल मेला

बच्चें की रचनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करने हेतु विद्यालयों में बाल मेले का आयोजन करना, जिसमें खेलकूद, रंगोली प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग, हस्त निर्मित सामग्री आदि प्रमुख गतिविधियां थीं।

6. बाल पत्रिका निर्माण

बच्चों की रचनाओं को संकलित रूप देने व सीखने की प्रवृत्ति को विकसित करने हेतु लहर (बाल पत्रिका) का निर्माण किया जाता है। यह पत्रिका त्रैमासिक होती है।

7. सहजकर्ता प्रशिक्षण

पुस्तकालय व पुस्तकों की समझ व विभिन्न दैनिक गतिविधियों को संचालित करना व पुस्तकालय प्रबन्धन हेतु सहजकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण में स्टाफ को कहानी सुनाने व सुनने की कला, पत्रिका निर्माण, पुस्तकों का आयु स्तरानुसार वर्गीकरण, चार्ट प्रदर्शन की कला, भाषा व पुस्तकों की समझ आदि सिखाया गया।

8. प्रधानाध्यापक व सी.आर.सी.एफ. प्रशिक्षण

अध्यापकों को कार्यक्रम की समझ व पुस्तकालय में बच्चों के उपयोग हेतु अध्यापकों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिससे अध्यापक व सी.आर.सी.एफ. कार्यक्रम के तहत पुस्तकालय गतिविधियों से जुड़कर कार्यक्रम को गति प्रदान कर सके।

9. ग्राम स्तरीय बैठक

समुदाय के लोगों की पुस्तकालय की समझ, पुस्तकालय उपयोग, व्यवस्था आदि को लेकर ग्राम स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाता है। यह ग्राम स्तरीय बैठक त्रैमासिक होती है।

10. एस.डी.एम.सी. (School Development Management Committee) बैठक

विद्यालयों में विद्यार्थियों के विकास हेतु एस.डी.एम.सी. का गठन करके या पूर्व निर्मित एसडीएमसी की बैठकों का

आयोजन त्रैमासिक किया जाता है। इसका उद्देश्य समिति को पुस्तकालय से जोड़ना व पुस्तकालय व्यवस्था में देखरेख करना।

11. अन्य गतिविधियां

पुस्तकालय संचालन हेतु मासिक व दैनिक गतिविधियां कराई जाती हैं-

1. पुस्तक लेन-देन
2. कहानी / कविता सुनना, सुनाना
3. फिल्म शो
4. खेलकूद
5. चित्र / चार्ट / पोस्टर दिखना
6. वाद विवाद, रंगोली, पेंटिंग प्रतियोगिताएं
7. रैलियां
8. प्रेरक व्याख्यान
9. रोल प्ले

पहल कार्यक्रम

(Micro Finance)

Promoting Empowerment among Poor House hold through Appropriate Livelihood (PEHAL)

सर रतन टाटा ट्रस्ट के वित्तीय सहयोग से संचालित परियोजना है। एसोसिएशन फॉर एडवांसमेन्ट थ्रू वॉलन्टरीश एक्शन एण्ड लोकल इनवॉल्वमेन्ट (अरावली) इस परियोजना में समन्वयक के रूप में भूमिका निभा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र के ग़रीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर बचत कर अपनी उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए बैंक लिंकेज कर उपयुक्त आजीविका के साधनों का प्रयोग कर ग़रीब महिलाओं की आयवर्द्धन कर सशक्त करना है।

परियोजना का कार्यक्षेत्र

अजमेर ज़िले की श्रीनगर, सिलोरा और भिनाय पंचायत समिति के 10 ग्राम पंचायतों के 19 ग्रामों में कुल 190 समूह हैं।

ज़िला	-	अजमेर
पंचायत समिति	-	श्रीनगर, सिलोरा, भिनाय
ग्राम पंचायत	-	11
ग्राम	-	19
समूह	-	100
सदस्य संख्या	-	1191
बीपीएल	-	166
एपीएल	-	1025
अनु. जाति/जनजाति	-	160
ओबीसी	-	876
सामान्य	-	155

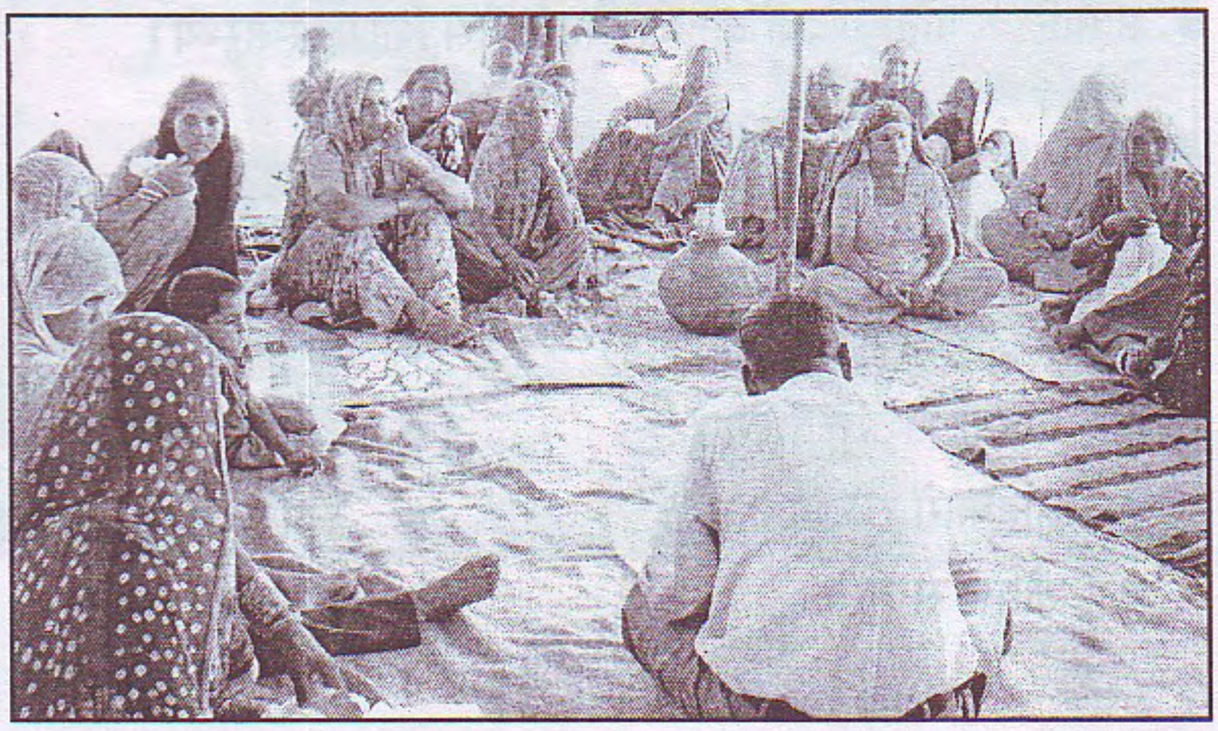

पहल परियोजना 2006 में इसकी शुरूआत हुई। यह परियोजना 3 वर्ष की है।

मुख्य गतिविधियां

- स्वयं सहायता समूह गठन
- लेखा संधारण
- प्रशिक्षण (आजीविका वर्द्धन)
- सामाजिक गतिविधियां
- स्वयं सहायता समूह सेवाएं
- प्रशिक्षण (क्षमता वर्द्धन)
- मीटिंग
- बीमा से लोगों को जोड़ना

स्वयं सहायता समूह

गाँव के ग़रीब परिवारों के सदस्यों को मिलाकर एक समूह का गठन करते हैं। इसमें 10 से 20 तक महिलाएं समान स्तर व मोहल्ले की महिलाओं को लेते हैं। समूह माध्यम से लघु बचत, लघु ऋण, आन्तरिक ऋण और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर आजीविका को प्रोन्नत कार्यक्रम का संचालन के साथ सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर बैठकों में विचार-विमर्श करना।

रणनीति

- गाँवों का चयन, समान आर्थिक स्तर की महिलाओं का चयन
- समान विचारधारा व आपसी सहयोग व एकता की भावना वाले सदस्यों का समूह गठन
- मासिक बैठकों का आयोजन व बचत के लिए प्रोत्साहन व आन्तरिक ऋण प्रक्रिया
- स्वयं सहायता समूह दस्तावेजीकरण
- आजीविका वर्द्धन के लिए बैंक जुड़ाव
- सामाजिक सुरक्षा हेतु बीमा
- समूह आमुखीकरण, मुंशी प्रशिक्षण
- सामाजिक गतिविधियों की जानकारी जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य।

उपलब्धि

- समूह गठन
- बैंक ऋण
- महिला सशक्तिकरण
- साहूकारों से छुटकारा
- शोषण से मुक्ति
- बैंक लेनदेन करना
- आत्मनिर्भर
- आजीविका वर्द्धन
- अपने धन का बेहतर उपयोग
- बचत की आदत

विशेष गतिविधि

क्लस्टर निर्माण

प्रत्येक समूह से एक स्थाई व एक अस्थाई सदस्य, इस प्रकार 10 समूह की बीस महिलाएं क्लस्टर की सदस्य व पदाधिकारी बनाये। कुल 10 क्लस्टर की बैठकें सुनिश्चित की गईं।

आगामी योजना

फैडरेशन

प्रत्येक क्लस्टर से एक अस्थाई व एक स्थाई सदस्य चयन कर फैडरेशन जो समुदाय आधारित संगठन तैयार कर महिलाओं को वित्तीय लेन-देन सुनिश्चित कराना है तथा सामाजिक गतिविधियां संचालित कर महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सुधार कर सशक्त बनाना है।

सतत बकरी पालन - किसान फील्ड पाठशाला (FFS)

अजमेर ज़िले के भिनाय पंचायत समिति में पशुपालन (भेड़, बकरियां) अधिक पाया जाता है। यहाँ के लोगों की मुख्य आय ही पशुपालन से होती है। किन्तु ये लोग बकरियों की अच्छी नस्ल से अनभिज्ञ हैं। परम्परा से जो नस्ल चली आ रही है, जिसका उत्पादन कम व खर्च अधिक हो रहा है। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या बिगड़ती हुई बकरियों की नस्ल है। इसका मुख्य कारण लोगों की पशु चिकित्सा विभाग तक पहुंच कम है।

अरावली, जयपुर के सहयोग व आरआरसी, अजमेर के दिशा-निर्देशन से ग्राम पंचायत बूबकिया के ग्राम खायड़ा, सोलकलां, सोलखुर्द, पीपलिया व ग्राम पंचायत सोबड़ी के ग्राम धणा का खेड़ा, कुम्हारिया खेड़ा, रामसागरिया तथा ग्राम पंचायत नागोला क ग्राम बड़ला में किसान फील्ड पाठशाला का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है।

किसान फील्ड पाठशाला के उद्देश्य

- अच्छी नस्ल की जानकारी देना व लोगों द्वारा बीजु बकरा खरीदना
- बकरी टीकाकरण करवाना
- बकरी पालकों को कम खर्च में अच्छी आय प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना।

रणनीति

- आय वृद्धि करवाने हेतु सतत बकरी पालन किसान फील्ड पाठशाला का मासिक में दो बार आयोजन करवाना।
- वहाँ की स्थिति को देखते हुए किसानों द्वारा पाठ्यक्रम तैयार करवाया गया।

- किसान फील्ड पाठशाला का आयोजन किसानों के समयानुसार किया गया।
- पशुपालन विभाग के सहयोग द्वारा कैम्प आयोजन करवाया गया।
- किसान फील्ड पाठशाला सत्र में विशेष जानकारी हेतु सहजकर्ता व तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सत्र संचालन किया गया।
- किसान बकरी पालन समूह गठन व समूह में बचत करवाना ताकि निरन्तरता बनी रहे।

गतिविधि

- **नस्ल सुधार**

बकरियों की नस्ल सुधारने हेतु रामसर फार्म से सिरोही नस्ल के बकरे खरीदे गये। जागरुक किसानों को फार्म पर उपलबध बकरे दिखाये गये ताकि किसान बीजु बकरा खरीद सकें।

- **टीकाकरण**

बकरीपालक अपनी बकरियों में नहीं के बराबर टीकाकरण करवाते हैं, जिससे हर वर्ष बकरीपालक को नुक़सान उठाना पड़ता है। टीकाकरण व डीगवसीग हेतु कैम्प आयोजित करवाये गये ताकि 100वीं टीकाकरण करवाकर पशु को स्वस्थ रखा जा सके व नियमित उत्पादन मिलता रहे।

- **डीवर्मिंग**

बकरी पालक बकरियों में डीवर्मिंग बहुत कम करवाते हैं, जिससे हर वर्ष रोग बढ़ते जाते हैं। कई बकरियां मर जाती हैं। उन्हें बचाने हेतु बकरी पालक का ध्यान डीवर्मिंग की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया गया, जिसमें काफी सफलता मिली है।

- **अजोला घास**

विपरीत मौसम में हरा चारा उपलब्ध करवाने हतु संस्थान द्वारा अरावली के सहयोग से खायड़ा, सोलखुर्द, सोलकलां, धणा का खेड़ा ग्रामों में अजोला फर्न यूनिट लगाई गई।

- **पाठ्यक्रम निर्माण कार्यशाला**

गाँवों की आवश्यकतानुसार ग्राम के बकरी पालकों की सहभागिता से दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर पाठ्यक्रम निर्माण किया गया, जिसमें अरावली संस्थान, पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर के सुझाव से पाठ्यक्रम निर्माण किया गया।

आपदा प्रबन्धन परियोजना (DMP)

अजमेर ज़िले की भिनाय पंचायत समिति सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र की श्रेणी में आता है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, किन्तु ये लोग कृषि की नवीन तकनीक एवं अच्छी नस्ल के पशुओं से अनभिज्ञ हैं। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या- निरन्तर घटता जल स्तर, फ्लोराइड युक्त पानी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, बेरोज़गारी इत्यादि हैं।

संस्थान कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज (सी.आर.एस.) एवं आर.सी.डी. समाज सेवी संस्था, मदार, अजमेर के दिशा-निर्देशन में ग्राम पंचायत बूबकिया के गाँव सोलकलां एवं खायड़ा में आपदा प्रबन्धन परियोजना का संचालन कर रही है। परियोजना में मुख्य रूप से समुदाय की क्षमता वर्द्धन गतिविधयाँ- प्रशिक्षण भ्रमण, ग्राम विकास कमेटी का गठन के अलावा जल स्त्रोतों की मरम्मत, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, चरागाह विकास, उत्तम नस्ल के पशुपालन व नवीन कृषि तकनीक हेतु जन जागृति कार्यक्रम के साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं इनसे जुड़ाव के लिए प्रेरित करना इत्यादि कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें संस्थान द्वारा सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है।

लाभार्थी विवरण

परियोजना का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कुल जनसंख्या	कुल परिवार
आपदा प्रबन्धन परियोजना	भिनाय	बूबकिया	1. खायड़ा	1026	215
			2. सोलकलां	521	96

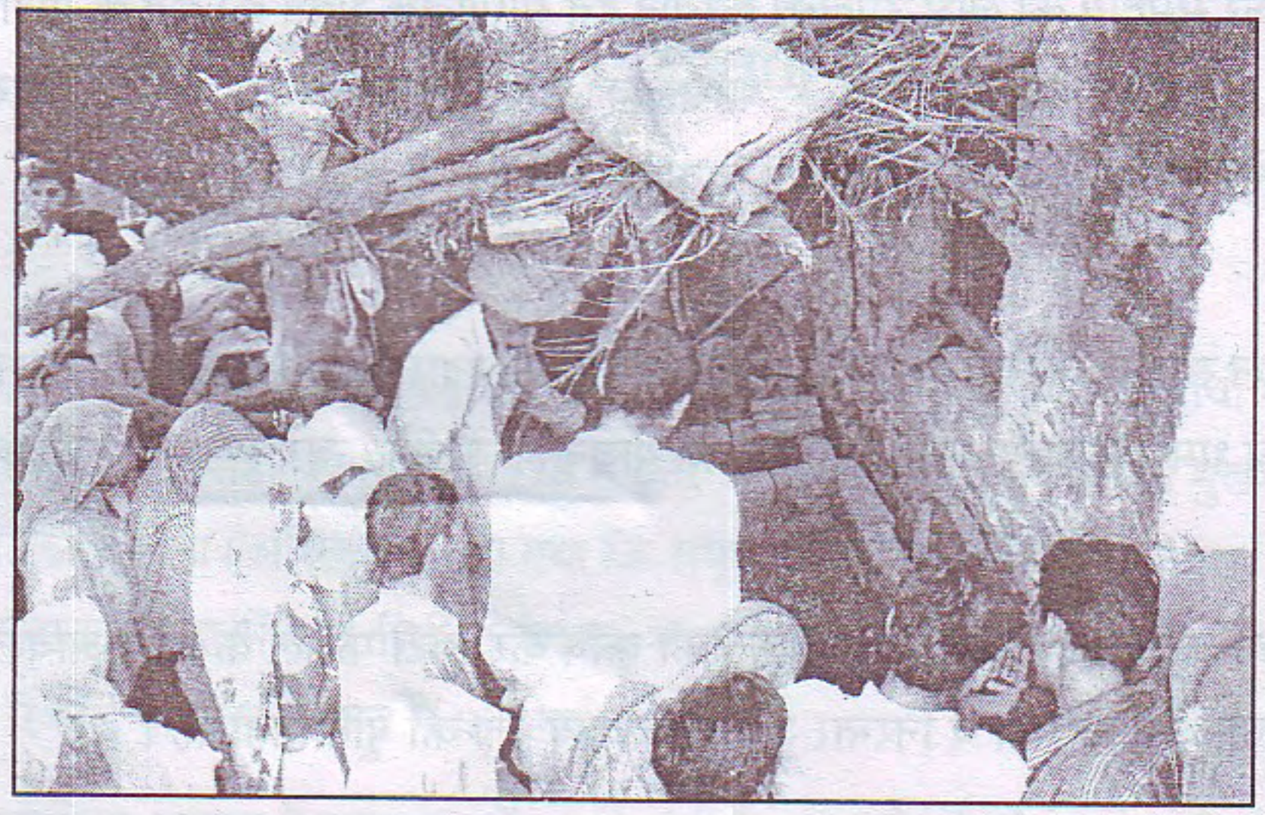

परियोजना के उद्देश्य

1. वर्षा जल का संग्रहण कर घरेलू एवं कृषि योग्य जल में वृद्धि करना।
2. उन्नत पशुपालन नस्ल एवं उन्नत कृषि तकनीक को बढ़ावा।
3. लक्षित समुदाय को सरकारी एवं अन्य संस्थागत गतिविधियों से जुड़ाव करवाकर अकाल के प्रभाव को कम करने का प्रयास।

मुख्य गतिविधियाँ

1. सामाजिक संगठन का गठन

ग्राम विकास से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु ग्राम स्तर पर ग्राम विकास कमेटी का गठन किया गया है, जो समय-समय पर बैठकें आयोजित करके

कार्यक्रमों को सही दिशा प्रदान करते हैं।

2. ग्राम सूचना केन्द्र

कार्यक्षेत्र के दोनों गाँवों में ग्राम सूचना केन्द्र की स्थापना की गई। जहाँ दैनिक समाचार-पत्र पत्रिकाएं आती हैं। रोज़गार समाचार पत्र, चोखी खेती व महाराणा प्रताप खेती कृषि कलैण्डर आते हैं। रेडियो व साउण्ड सिस्टम रखा गया है जिससे समाचार सुनकर सभी लोग नई-नई जानकारियों से रू-ब-रू हो सकें। केन्द्र पर कृषि उपकरणों को भी रखा गया है, जो ग्रामवासी एक न्यूनतम शुल्क देकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें।

3. सामाजिक जागरुकता

परियोजना के अन्तर्गत संस्थान द्वारा परियोजना संचालित ग्रामों में एलसीडी के माध्यम से लोगों को नवीन योजना की जानकारी तथा योजना से लाभ प्राप्त करने की प्रक्रियाओं से अवगत करवाया गया है।

4. वर्षा जल संग्रहण टांका निर्माण

वर्षा जल संग्रहण कर समुदाय को लाभ उपलब्ध करवाने हेतु सामाजिक भवन की छत के पानी को एकत्रित करने हेतु 10 फुट × 8 फुट × 5 फुट लम्बाई × चौड़ाई × गहराई का टांका निर्माण करवाया गया, जिससे समुदाय को पानी उपलब्ध हो सका व लोगों में पानी बचत की भावना विकसित हुई।

5. शैक्षणिक भ्रमण

समुदाय को वर्षा जल संग्रहण करने व संग्रहित जल का उपयोग फलदार पौधों व पेयजल के रूप में करने हेतु प्रेरित करने के लिए इस्माइलपुर का भ्रमण करवाया गया, जहाँ विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से लोगों को अवगत करवाया गया।

6. स्थाई खेती

कृषकों को अपनी उत्पादन बढ़ाने हेतु नवीन तकनीकी कृषि कर छोटी फसल के साथ आंवले के पौधे भी लगाये हैं ताकि कृषक का उत्पादन कम नहीं हो व निरन्तर अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती रहे।

7. किसान क्लब

दोनों ग्रामों में किसान क्लबों का संचालन किया गया है, जिसमें क्लब के द्वारा ग्राम स्तर के विकास से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श व प्रशासन तक अपनी माँग को पहुंचाकर विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। शिव शक्ति किसान क्लब का उद्घाटन नाबार्ड द्वारा करवाया गया। क्लब ने पशुपालन विभाग द्वारा वर्मीग एवं टीकाकरण कैम्प का आयोजन करवाया गया, जिससे ग्राम के 1980 पशुओं का टीकाकरण हुआ, 106 पशुपालकों को लाभ पहुंचाया गया।

8. उन्नत कृषि

कृषि प्रमाणित बीज का उपयोग करें व मिट्टी की जाँच का मूल्य समझ सकें इस हेतु दोनों ग्रामों में 125 बीघा जमीन पर मूंग की के-851 किस्म का प्रदर्शन 50 किसानों के खेतों पर लगाया गया ताकि देशी बीज व प्रमाणित बीज में उत्पादन अन्तर लोग देख पायें तथा अपना काम कर अधिक लाभ कमायें।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशु पालना गृह योजना

आज के महंगाई के दौर में पति एवं पत्नी दोनों को कार्य करना अति आवश्यक हो गया है। साथ ही समाज में संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और परिवारों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ ही कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की उचित परिवेश में देखभाल के लिए शिशु पालन गृह की अधिकाधिक आवश्यकता अनुभव हो रही है। शिशुओं की समुचित देखभाल अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त निर्धन महिलाओं के शिशुओं को बाल श्रम से बचाने व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिशुपालन गृह का महत्त्व भी बढ़ रहा है। अतः संस्थान ने राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर के सहयोग से कार्यक्षेत्र के गाँव शाला की ढाणी (बूबानी) में कामकाजी माताओं के शिशुओं के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशु पालन गृह योजना के अन्तर्गत शिशु पालन गृह का संचालन गत वर्ष से कर रही है। इसमें 0 से 6 वर्ष तक 25 शिशुओं को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रखा जाता है। साथ ही बच्चों के लिए खिलौने, झूले आदि की व्यवस्था की गई है। साथ में पोषाहार व आवश्यक दवाइयों की भी व्यवस्था है।

मुंशी प्रशिक्षण

(SHG Record Writer's Training)

पृष्ठभूमि

ग़रीबी उन्मूलन परियोजनाओं में केवल स्वयं सहातया समूह को प्राथमिकता दी है। यदि गाँवों में चल कर देखें तो 15 से 30 प्रतिशत ही वास्तव में समूह सही प्रकार से चल रहे हैं और लाभ उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण स्वयं सहायता समूह की सही गुणवत्ता का न होना। अधिकतर पाया गया कि समूह की गुणवत्ता न होने के कारण समूह स्तर पर रिकॉर्ड सही तरह से नहीं रखा जाना, समूह में कोई शिक्षित सदस्य, सदस्यों का न होना या कोई प्रशिक्षित व्यक्ति का सेवा प्राप्त नहीं होने से समूहों के रिकॉर्ड की रख-रखाव में कइिनाई आती है।

सेन्ट फोर माइक्रो फाइनेन्स, जयपुर ने राजस्थान में 1000 मुंशी तैयार करने की योजना बनाई। ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बूबानी द्वारा 50 मुंशियों को प्रशिक्षण दिया।

उद्देश्य

- स्थानीय स्तर पर लेखा जोखा हेतु मानव संसाधन तैयार करना।
- समूहों का गठन
- गुणवत्तापूर्ण रिकॉर्ड तैयार करना
- मुंशी द्वारा सेवाएं प्रदान कराना
- बैंक लिंकेज कर ऋण प्रस्ताव करना
- आजीविका वर्द्धन गतिविधि करना

रणनीति

ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे समूहों को पढ़ी लिखी सदस्या व गाँव का ही पढ़ा लिखा पुरुष/महिला को मुंशी प्रशिक्षण का दो चरणों में, 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण स्थान राजा रेडी मदनगंज-किशनगढ़ में आयोजित किया गया।

प्रथम चरण

दिनांक 10.02.2009 से 24.02.2009 तक, प्रतिभागी-25

द्वितीय चरण

दिनांक 19.03.2009 से 02.04.2009 तक, प्रतिभागी-25

निम्न प्रकार की दक्षताएं सिखाई गईं

- स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं सेवाएं
- स्वयं सहायता समूहों का लेखा संधारण
- उद्यमिता एवं अन्त: उद्यमिता का विकास

उपलब्धियां

● मुंशी द्वारा सवयं सहायता समूहों का गठन ● मुंशी द्वारा स्वयं सहायता समूहों का लेखा संधारण ● मुंशी द्वारा स्वयं सहायता समूहों की मीटिंग समय पर होना ● स्थानीय स्तर पर सेवा प्रदाता उपलब्ध ● गुणवत्ता पूर्ण समूह ● समूह को समय पर सेवाएं मिलने लगीं ● स्वयं के रोज़गार के साधन उपलब्ध ● बैंक लिंकेज में वृद्धि हुई ● आजीविका के लिए धन का उपयोग ● समूहों के प्रति रूचि बढ़ी ● महिलाएं बैंक लेन-देन सीखना

राजस्थान इनिसिटीव फ्लोराइड मिटीगेशन कार्यक्रम (द्वितीय चरण)

संस्थान के माध्यम से पंचायत समिति श्रीनगर के 13 गाँवों में फ्लोराइड युक्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया।

गाँवों के नाम : बाघपुरा, बडल्या, घ्घरा, कायड, गोडियावास, गुड्डा, गवारडी, अरडका, होशियारा, बबाईचा, भवानी खेडा, सराणा, रामनेर ढाणी।

कार्यक्रम में मुख्य गतिविधियां : बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. सर्वे, फ्लोराइड युक्त पानी की जाँच, नारा लेखन, वॉल पेटिंग, कठपुतली नुक्कड़ नाटक, रिजर्नेशन सेन्टर स्थापित करना, जल समिति का गठन।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँवों में बी.पी.एल एवं ए.पी.एल परिवारों का घर-घर जाकर सर्वे करते हुए मुख्य-मुख्य स्त्रोत से पानी के नमूनों का सैम्पल लेकर प्रयोगशाला में जांच करवाई गई, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा को नष्ट करने हेतु 13 गाँवों पर दो रिजर्नेशन सेन्टर खोले गए। इन सेन्टरों पर दो फेसीलेटरों को प्रशिक्षण दिलवाया गया। जिसमें फ्लोराइड युक्त पानी से होने वाली बीमारियां व दुष्परिणाम को रोकने के उपाय बताये गए व पानी को शुद्ध करने हेतु डी.डी.एफ.यू. का उपयोग कर वहाँ के लोगों को बीमारियों से बचाया जा सकता है, आदि जानकारियाँ दी गई व लाभान्वित किया गया।

एकल ग्रामीण स्वयं सेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

ग़रीबी उन्मूलन परियोजनाओं में केवल स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी है। यदि गाँवों में चलकर देखें तो 15 से 30 प्रतिशत ही वास्तव में समूह सही प्रकार से चल रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है समूहों में गुणवत्ता का न होना और उनको स्वयं का रिकॉर्ड सही नहीं रख पाना, समूह की सम्पूर्ण जानकारी का अभाव होना व स्वयं की कमज़ोरियों का मूल्यांकन नहीं कर पाना, जिसमें कि सभी कमियों का मुख्य कारण है, समूह में कोई शिक्षित सदस्यों का न होना या कोई प्रशिक्षित व्यक्ति की सेवा प्राप्त नहीं होना, इस कारण समूह के रिकॉर्ड का रखरखाव में कठिनाई आती है।

बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय, अजमेर के सहयोग से ये राजस्थ्ज्ञान के 80 एकल ग्रामीण स्वयं सेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा 80 IRVS को प्रशिक्षित दिया गया।

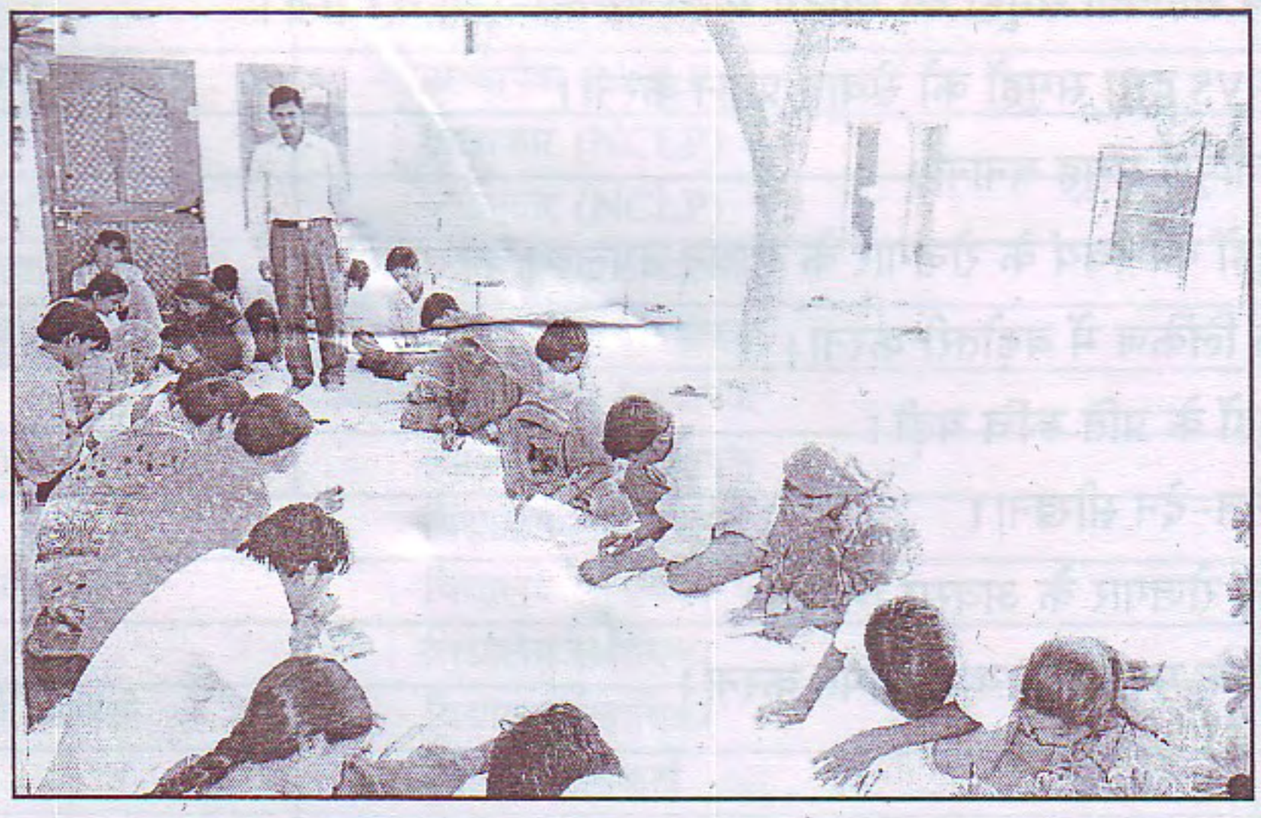

उद्देश्य

- गाँव स्तर पर IRVS तैयार करना व मानव संसाधन तैयार करना।
- समहों का गठन।
- गुणवत्ता रिकॉर्ड तैयार करना।
- IRVS के द्वारा सेवाएं प्रदान कराना।
- बैंक लिंकेज कर ऋण दिलवाने में IRVS का सहयोग करना।
- IRVS द्वारा आजीविका वर्धन गतिविधि करवाना।

रणनीति

ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे समूहों के पढ़ी लिखी सदस्यता व गाँव का ही (IRVS) जो महिला पुरुष को प्रशिक्षण दो चरणों में दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण स्थार आनसीडी समाज सेवी संस्थान, मदार, अजमेर में ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा आयोजित किया गया।

प्रथम चरण - 13 व 14 अगस्त, 2008

द्वितीय चरण - 30 से 31 अगस्त, 2008

निम्न प्रकार की दक्षताएं सिखाई गईं

- स्वयं सहायता समूहों का गठन कर सेवाएं।
- उद्यमिता एवं अत:उद्यमिता का विकास।
- स्वयं सहायता समूह का लेखा संधारण।

उपलब्धियां

- IRVS द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन।
- IRVS द्वारा स्वयं सहायता समूहों का लेखा संधारण।
- IRVS द्वारा स्वयं सहायता समूहों की मीटिँग समय पर करना या करवाना।
- गाँव स्तर पर IRVS द्वारा समूहों को सेवाएं प्रदान करना।
- समूहों में गुणवत्तापूर्ण समूह बनाना।
- IRVS द्वारा समूहों का स्वयं के रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाना।
- IRVS द्वारा बैंक लिंकेज में बढ़ोतरी करना।
- IRVS द्वारा समूहों के प्रति रूचि बढ़ी।
- महिलाएं बैंक लेन-देन सीखना।
- ग्रामीण लोगों को रोज़गार के अवसर मिलना।
- बैंक और समूहों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना।

सहयोगी संस्थायें

1. अरावली, जयपुर
2. नाबार्ड, अजमेर
3. सी. आर. एस., गुजरात
4. श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
5. सेन्टर फोर माइक्रो फाइनेन्स, जयपुर
6. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर
7. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर
8. सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुम्बई
9. राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर
10. आर. सी. डी. समाज सेवी संस्था, मदार (अजमेर)
11. रूम टू रीड, जयपुर
12. राजस्थान महिला कल्याण मण्डल, चाचियावास (अजमेर)
13. क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, अजमेर

संस्थान के वर्तमान कार्यकर्तागण

क्र.	कर्मचारी का नाम	पद	कार्यानुभव
1.	शंकर सिंह रावत	निदेशक	12 वर्ष
2.	रिषी गुप्ता	कार्यक्रम अधिकारी	2 वर्ष
3.	शम्भू सिंह रावत	समन्वयक	11 वर्ष
4.	संदीप जैन	वरिष्ठ लेखाकार	6 वर्ष
5.	तेजाराम मेघवंशी	परियोजना अधिकारी (MFP)	11 वर्ष
6.	विजय सिंह रावत	परियोजना अधिकारी (NCLP)	9 वर्ष
7.	अनिल कुमार कलोसिया	परियोजना अधिकारी (SMCS)	6 वर्ष
8.	रणजीत जाट	परियोजना अधिकारी (DMP)	5 वर्ष
9.	रिद्धकरण आसर्वा	सुपरवाइजर (SHG)	10 वर्ष
10.	गजानन्द	समन्वयक (SHG/MFP)	4 वर्ष
11.	कैलाश चन्द्र	प्रधानाध्यापक, मुहामी	7 वर्ष
12.	महावीर सिंह रावत	प्रधानाध्यापक, नौलखा	4 वर्ष
13.	मोहनलाल	प्रधानाध्यापक, किशनगढ़	4 वर्ष
14.	महावीर सिंह	प्रधानाध्यापक, गेगल	4 वर्ष
15.	रणजीत सिंह	अध्यापक (NCLP)	4 वर्ष
16.	महावीर खटीक	अध्यापक (NCLP)	4 वर्ष
17.	सुरेश चन्द राठी	अध्यापक (NCLP)	4 वर्ष
18.	राधेश्याम मेघवंशी	अध्यापक (NCLP)	3 वर्ष
19.	नीरा सिंह	लेखाकार (NCLP)	7 वर्ष
20.	ज्ञान सिंह रावत	लेखाकार (NCLP)	8 वर्ष
21.	गौरीनन्दन देतवाल	व्यावसायिक अध्यापक	4 वर्ष
22.	हेमलता अपूर्वा	व्यावसायिक अध्यापक	5 वर्ष
23.	संजू रावत	व्यावसायिक अध्यापक	4 वर्ष
24.	घनश्याम सदावत	व्यावसायिक अध्यापक	4 वर्ष
25.	कमला देवी	विद्यालय सहायिका	7 वर्ष
26.	मुन्नी देवी रावत	विद्यालय सहायिका	4 वर्ष
27.	रुकमा देवी	विद्यालय सहायिका	4 वर्ष
28.	रामेश्वरी देवी मेघवंशी	विद्यालय सहायिका	3 वर्ष
29.	मैना देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	5 वर्ष
30.	निर्मला देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	5 वर्ष
31.	सीमा देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	5 वर्ष
32.	गीता देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	5 वर्ष
33.	पारसी देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	5 वर्ष
34.	सीता देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	5 वर्ष
35.	ऊमी देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	5 वर्ष
36.	प्यारेलाल खींची	सहजकर्ता (RRP)	1 वर्ष
37.	कृष्ण गोपाल सेन	सहजकर्ता (RRP)	1 वर्ष
38.	गोपाल लाल कीर	सहजकर्ता (RRP)	1 वर्ष
39.	रामेश्वर प्रसाद गुर्जर	सहजकर्ता (RRP)	1 वर्ष

संस्थान कार्यक्षेत्र

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	गाँव का नाम	परिवार संख्या	कुल जनसंख्या
1.	श्रीनगर	श्रीनगर	श्रीनगर	2139	12834
2.		गेगल	गेगल	388	2307
3.			आखरी	226	1342
4.			चांदियावास	113	629
5.			दांता	148	1036
6.		बूबानी	बूबानी	445	2794
7.			मुहामी	383	2330
8.			खोड़ा गणेश	208	1414
9.			शाला की ढाणी	93	640
10.		भूडोल	भूडोल	524	3375
11.		गोडियावास	गोडियावास	141	894
12.			नौलखा	192	1231
13.			गुढा	77	426
14.		ऊंटड़ा	सराणा	263	1490
15.		नरवर	टिढाणा	120	810
16.			निम्बूकिया	112	730
17.		कायमपुरा	कायमपुरा	344	2166
18.		नारेली	नारेली	462	2970
19.		रसूलपुरा	गुवारड़ी	158	934
20.		गगवाना	गगवाना	687	4437
21.	सिलोरा	मालियों की बाड़ी	ढाणी पुरोहितान	315	1817
22.		किशनगढ़	सुमेरनगर	2000	12437
23.	भिनाय	बूबकिया	बूबकिया	206	1143
24.			खायड़ा	184	1026
25.			पीपलिया	145	786
26.			सोलखुर्द	88	456
27.			सोलकलां	102	501
28.			रेण	109	623
29.		गुढाखुर्द	खेड़ी	131	893
30.		बडली	बडली	786	5688
31.		धातौल	धातौल	207	1139
32.			हीरापुरा	194	1127
33.			उदयगढ़ खेड़ा	238	1256
34.		रामलिया	पिलोदा	88	567
35.		भिनाय	भिनाय	1195	6913
36.		सोबड़ी	कुम्हारिया खेड़ा	24	134
37.			सोबड़ी	116	739
38.			प्रतापपुरा	109	438
39.		लामगरा	भैरूखेड़ा	56	311
40.			निमेड़ा	300	3019
41.		देवलियाकलां	देवलियाकलां	1050	5483
42.			माताजी का खेड़ा	94	564
43.		सिंगावल	सिंगावल	451	2729
44.		राताकोट	राताकोट	380	3516
45.			झीपिया	174	1078
46.			खटाणों का खेड़ा	102	648
47.		पडांगा	पडांगा	293	1676
48.			जवाईपुरा	107	680
49.			गज्जानाड़ी	89	562
50.			रामनगर	59	279
51.			अर्जुनपुरा	116	624
52.			देवरिया	171	1085
53.			रूपपुरा	139	938
54.			रामपुरा	37	270
55.			मोतीपुरा	61	348
56.		बान्दनवाड़ा	बगराई	106	715
57.		छछून्दरा	छछून्दरा	219	1688
58.			सेदरिया	208	1422
59.			रतनपुरा	28	161
60.			गोवर्धनपुरा	46	258
61.			दौलतपुरा	84	545
62.			जोरावरपुरा	75	537
63.			सरगांव	125	712
64.		कराटी	कराटी	320	1926
65.		नागोला	बडला	119	792
66.	केकड़ी	कादेड़ा	कादेड़ा	1272	7890
67.		मेहरूकला	मेहरूकला	737	4973
68.			बालापुरा	105	525
69.		भीमड़ावास	भीमड़ावास	567	3660
70.		खवास	खवास	655	4162
71.		आलोली	आलोली	388	247
72.		सदारा	सदारा	399	2694
73.			सदारी का झोपडा	182	1184
74.		पारा	पारा	507	3224
75.			गणेशपुरा	113	565
76.		गुलगांव	गुलगांव	312	1951
77.		कुशायता	सूरजपुरा	71	465
78.			बिसुन्दरी	165	1116
79.		गोवर्धा	किडवों का झोपड़ा	72	454
80.			मेहरूखुर्द	98	602
81.		पीपलाज	पीपलाज	532	3390

SWAMI SHARAN VERMA
Chartered Accountant
4 –A, Lalpura Colony, Vanasthali Marg, Jaipur - 302001
☎: 0141-2373865, 94142 71614
e-mail :- ssvermafca@gmail.com

AUDITOR'S REPORT

I have examined the Balance Sheet as on 31.03.2009 of GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN, Village Bubani, Via -Gagvana, Ajmer and the Income & Expenditure Account and Receipt And Payment Account for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Society's management.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

And we report that:

1. I have obtained all the inform ex planations, which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purpose o

2. That Balance Sheet Income & Ex cure Account and Receipt And Payment Account dealt with by this report are in agreement e books of account maintained by the GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN

3.In my opinion proper books of acc have been kept by the above named society so far as appears from my examination of books, subject the comment below.

In my opinion and to the best of my information, and according to explanation given to me, the said accounts give a true and fair view-

(i) In the case of the balance sheet,of the state of affairs of the above named trust as at 31.3.2009

(ii) In the case of income & expenditure a/c ,of the surplus of its accounting year ending 31.3.2009

For Swami Sharan Verma
Chartered Accountant

SWAMI SHARAN VERMA ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

Prop

Jaipur, 20 June 2009

GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN

ABRIDGED INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 31.03.2009

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
To NCLP Project Exp.	1169289.00	By NCLP Project Receipts	1248012.00
To SRTT Project Exp.	302081.00	By SRTT Project Receipts	214492.00
To CRS-RCDSSS Project Exp.	126264.00	By CRS-RCDSSS Project Receipts	107817.00
To FFS Project Exp.	67604.00	By FFS Project Receipts	70000.00
To Room to Read Project Exp.	485539.00	By Room to Read Project Receipts	641502.00
To RIMPH Phase-2 (Flouride) Exp.	225994.00	By RIMPH Phase-2 (Flouride) Receipts	225994.00
To RMOL Project Exp.	52340.00	By RMOL Project Receipts	52482.00
To NCP Project Exp.	44127.36	By NCP Project Receipts	44448.00
To General Admin. Exp.	245173.69	By General Receipts	262952.00
To Depreciation	41359.68	By Grant from NABARD	6178.00
To Surplus	114105.27		
	2873877.00		2873877.00

ABRIDGED BALANCE SHEET AS ON 31.03.2009

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
General Fund	632968.55	Fixed Assets	381721.90
		GRANT RECEIVABLE	
Other Loan	419266.00	NCLP	238392.00
HDFC Bank Loan	12759.78	SRTT	49500.00
		FFS	36000.00
		RIMPH	114930.00
		CMF	21713.00
		Rajasthan State Social Welfare Board	21317.00
		CUTS	1000.00
		Closing Balance	
		Cash in hand	84487.00
		Cash at Bank	115933.43
	1064994.33		1064994.33

In terms of our Audit Report even date attached.

For SWAMI SHARAN VERMA
Chartered Accountants
Prop.

Place: Jaipur
Dated:20.06.2009

For GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN

Secretary

सचिव
ग्रामीण महिला विकास संस्थान
झूबानी, (अजमेर, राज.)-305023

कार्यक्षेत्र मानचित्र

ग्रामीण महिला विकास संस्थान वर्तमान में श्रीनगर, सिलोरा, भिनाय एवं केकड़ी पंचायत समिति ज़िला अजमेर के 81 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है।

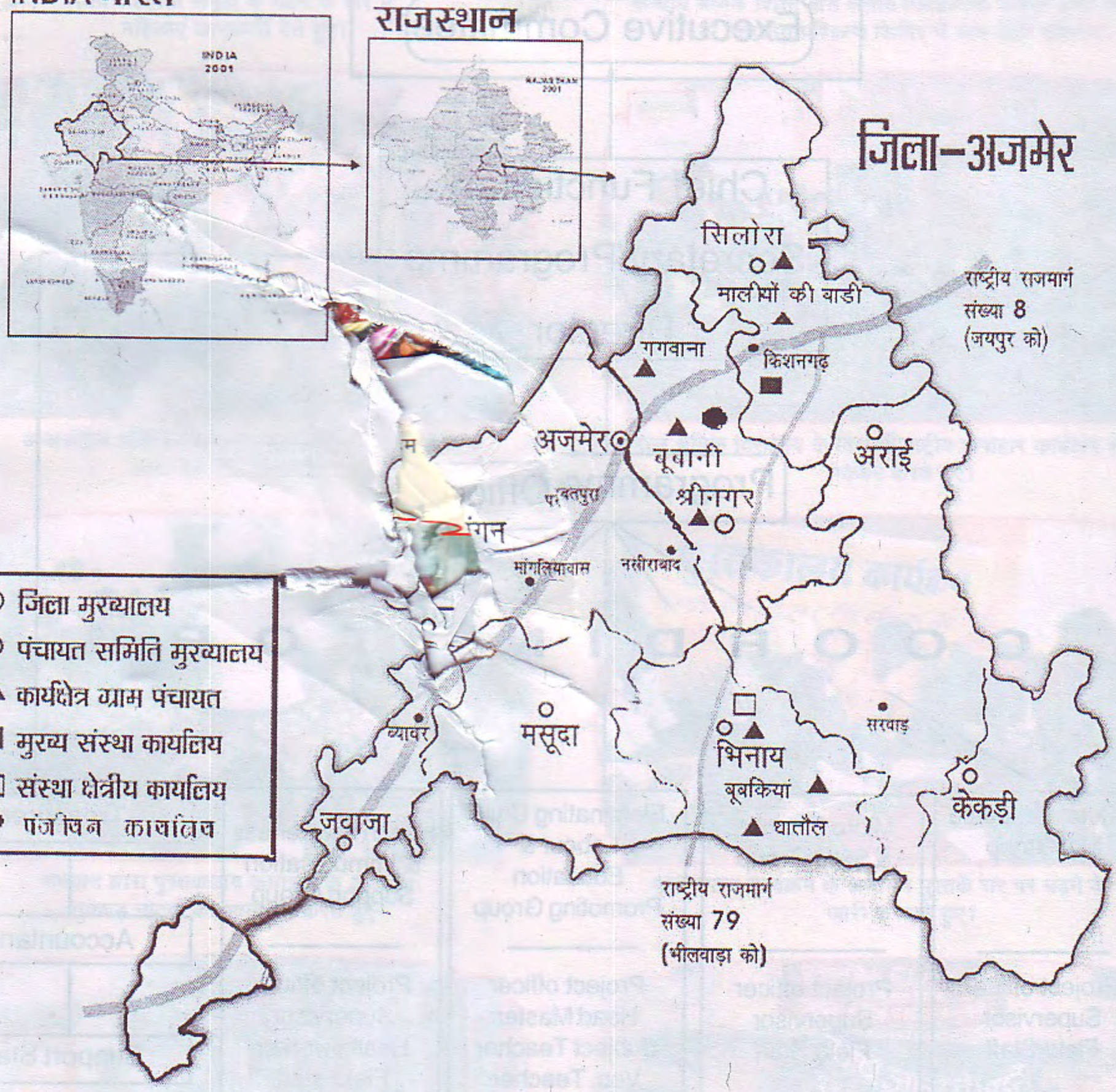

GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN, KISHANGARH

Organisational Structure

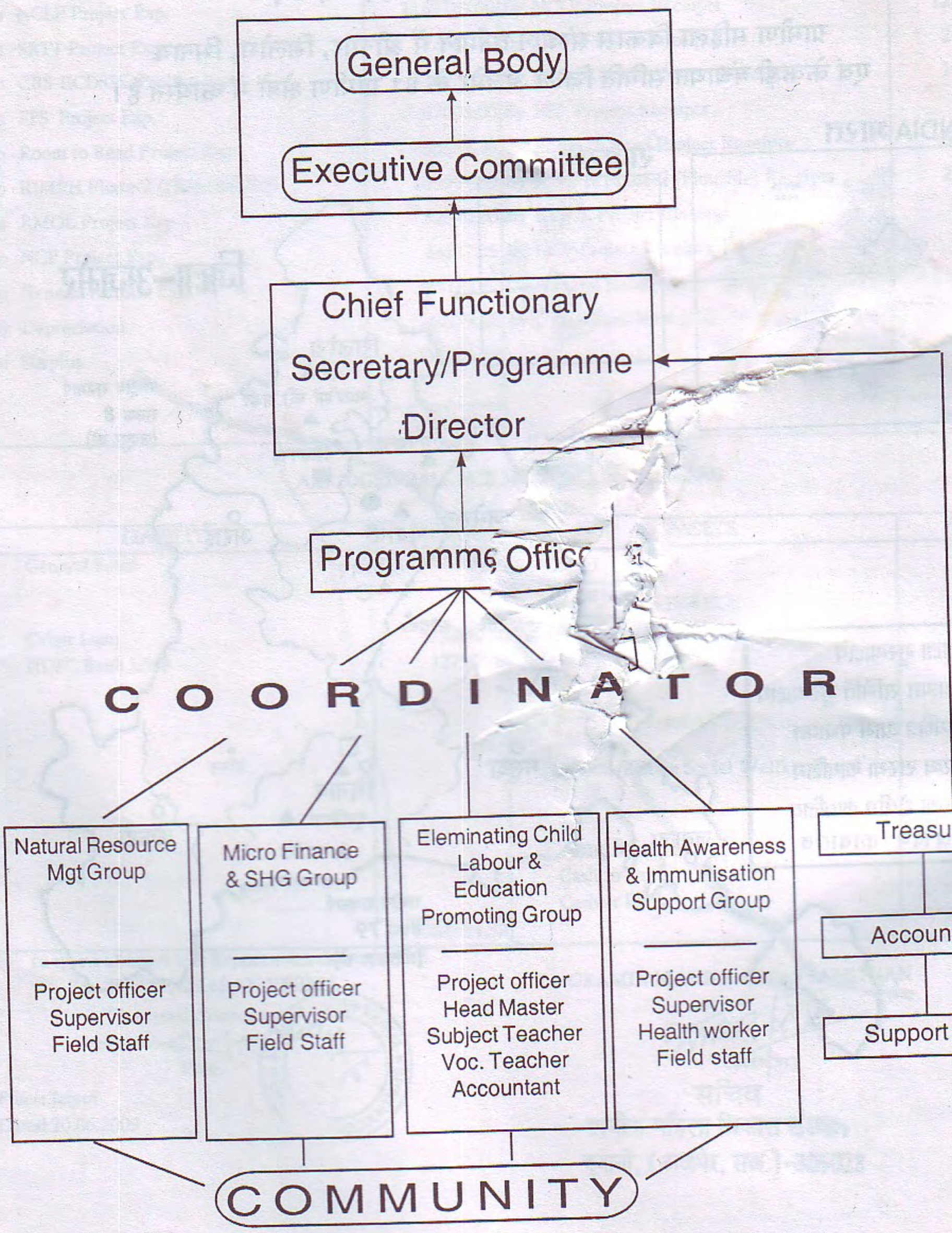

हमारे प्रयास

स्वयं सहायता समूहों के गठन के बारे में
महिलाएं जानकारी देते हुए।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय जयपुर द्वारा आयोजित
दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेती महिलाएं।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में
भाग लेती हुई महिलाएं।

बाल श्रमिक विद्यालय के विद्यार्थी राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के तहत
भोजन करते हुए।

संस्थान द्वारा पुस्तकालय कार्यक्रम के अन्तर्गत
नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हुए।

पुस्तकालय कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकें घर पर पढ़ने के लिए
जारी करवाते हुए।

मुंशी प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए।

यूनियन बैंक द्वारा आयोजित किसान मेले को सम्बोधित करते हुए
बैंक के अधिकारीगण।

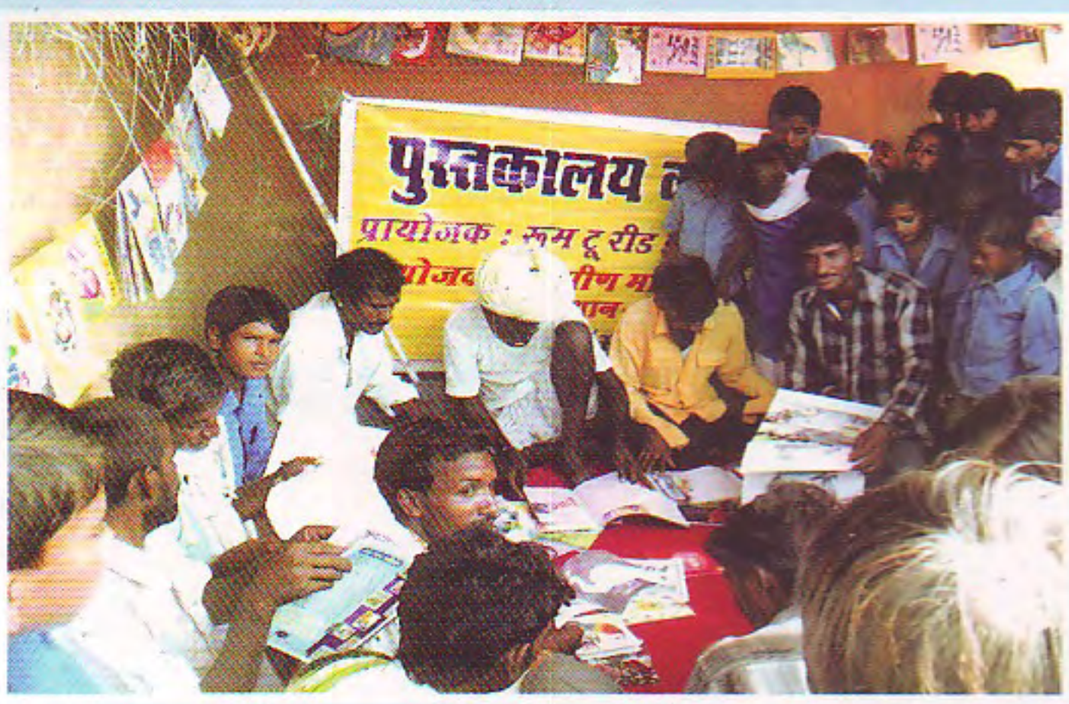

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

मुख्य कार्यालय

पटाखा फैक्ट्री के पास, राजा रेडी
मदनगंज–किशनगढ़ – 305 801
ज़िला–अजमेर (राजस्थान) भारत
फोन – +91–1463–245642
ई–मेल– reachgmvs@gmail.com
Visit us : www.gmvs.org.in

पंजीयन कार्यालय

मु. पो. बूबानी
वाया–गगवाना – 305 203
ज़िला–अजमेर (राजस्थान) भारत
फोन – +91–1463–516005
ई–मेल– graminmahilavikas@yahoo.co.in

मुद्रक : प्रगति प्रिन्टर्स, अजमेर. फोन : 2421887